महिलाओं की सहभागिता तथा सशक्तिकरण में मनरेगा की भूमिका– उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले (कौशाम्बी विकास खण्ड) के विशेष सन्दर्भ में

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
लखनऊ से राजनीति विज्ञान विषय में
पीएच० डी० की उपाधि
हेतु प्रस्तुत

शोध सारांश

शोध निर्देशक
प्रो० सार्तिक बाग
राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, लखनऊ

शोद्यार्थिनी
माया भारती
नामांकन संख्याः 302/12
राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, लखनऊ

अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
लखनऊ–226025
2018

शोध–सारांश

किसी भी राष्ट्र की उन्नति महिला विकास के बिना अधूरी है। महिलाए समाज की अभिन्न अंग है और प्रत्येक समाज की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बावजूद भी इनकी सामाजिक, आर्थिक तथा संस्कृतिक स्थिति दोयम दर्जे की है। इन्हे इनका वाजिब हक नहीं मिल पाया है तथा विकास की धारा में पिछड़ गई है। महिलाओ की स्थिति का अवलोकन करे तो पाते है कि, ये लंबी अवधि तक सामाजिक अपवंचना का शिकार रही है। और वर्तमान परिदृश्य में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। इस अपवंचना के अनेक अतार्किक कारण थे, जिसके फलस्वरूप महिलाएं समाजिक विकास के क्रम में पीछे छूट गई। इसीलिए महिलाओ को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए तथा उन्हे विभिन्न क्षेत्र में सहभागी बनाने के लिए राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास होते रहे है। भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाओ को महिला सशक्तीकरण के सन्र्दभ में लागू किया गया जिसमे महत्मां गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम भी एक सशक्त प्रयास है।

महात्मां गाधी राष्ट्रीय गामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) को 2 फरवरी 2006 से आध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से लागू किया गया। शुरू में इसे देश के कुछ ही जिलों में लागू किया गया, बाद में 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी 614 ग्रामीण जिलो में लागू कर दिया गया।

इसके अन्तर्गत अकुशल मजदूर जो कार्य करने के इच्छुक है, उसे 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाता है। महात्मा गांधी नरेगा के द्वारा जहॉ एक तरफ ग्रामीण सड़को, पुलों, नहरों, तालबों, कुओ, आदि का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रो की अधोसंरचना को विकसित करने का प्रयास किया गया है, वही 100 दिन का रोजगार मुहैया कराके ग्रामीण क्षेत्रो के स्त्री–पुरूषों को सशक्त करने का भी प्रयास किया गया है।

महात्मा गॉधीं नरेगा के अर्न्तगत **एक तिहाई रोजगार दिवसों को महिलाओं के लिए आवंटित किये गये हैं**। इस प्रावधान को बनाने के पीछे महिलाओं की स्थिति को सुधार करके उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाना मुख्य उद्देश्य था। इस एक तिहाई रोजगार के आवंटन का कई राज्यों में सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलें है।

वास्तव में मनरेगा की प्रवृति अन्य योजनाओं से भिन्न होने के कारण तथा मजदूरों के सामाजिक सांस्कृतिक तथा अर्थिक दृष्टि से पूर्णतया सहयोगात्मक होने के कारण इसमें भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इसके उद्देश्यों में महिलाओं तथा विधवाओं को विशेष प्रावधान दिया गया है, और एक तिहाई महिला श्रमिकों के लिए स्थान आरक्षित हुए हैं। परन्तु स्थिति यह है कि आज भारत में, मनरेगा में महिलाएं औसतन 52 प्रतिशत से ज्यादा है। तथा पुरूष श्रमिक भी गावों के पास रोजगार पाकर संतुष्ट है। महिलाओं तथा पुरूशों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से उनकी क्रयशक्ति बढ़ी है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के उद्देश्य सतत् तथा मानव गरिमापूर्ण एवं अधिकार रूप में, इच्छुक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार प्राप्त करता है। अगर इसके कार्य प्रवृति का विश्लेषण करे तो यह स्थायी संपदाओं के संरक्षण के क्षेत्र में अहम् कार्य को संपादित कर रहा है इसके उद्देश्यो में स्थायी गरीबी को जन्म देने वाले कारक जैसे सूखा, वन विनाश, मृदाक्षरण आदि की स्थितियों से भी निपटना है। इस अधिनियम ने केन्द्र तथा राज्य सरकारों को उनकी जिम्मेदारी का आभास कराया है। मनरेगा में पहले से संचालित अन्य योजनाओ की अपेक्षा बहुत बड़ी राशि खर्च की जा रही है। 2010–11 के बजट मे 40,100 करोड़ का प्रावधान था। 2009 –10 में यह 39,100 करोड़ था वहीं 2012–13 में 420000 था।

इस तरह से देखा जाए तो मनरेगा में कार्य की प्रकृति भी समृद्ध सतत् तथा गावों को विकसित करने में मदद करने वाली रही है।

अगर मनरेगा में महिलाओं की स्थिति को विश्लेषित करे तो यह लगातार बढ़ रही है। केरल में जहां महिलाए 88 प्रतिशत है वहीं कुछ राज्यो में काफी कम है, जैसे–अरूणांचल प्रदेश। जिसके पीछे अनेक सामाजिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक कारक जिम्मेदार है। **रितिका और खेरा ने अपने स्पेशल लेख भारत में महिलाओ का नरेगा में भागीदारी 2009** में छः राज्यों का विश्लेषण किया है। ये राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तथा उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों में कुछ निश्चित मानक के आधार पर इन्होने साक्षात्कार किया। तो इन्होने पाया कि मनरेगा ने प्रत्येक राज्य में सकारात्मक परिणाम दिए

है, भले ही प्रतिशतता अलग–अलग है। प्रतिदिन की महिला भागेदारी 40–50 प्रतिशत के बीच थी।

कुछ राज्यों में महिला भागेदारी बहुत कम थी। मनरेगा में विधवा तथा एकल महिला मुखिया के लिए विशेष प्रावधान से सामाजिक स्तर पर विधवांओ की स्थिति भी मजबूत हुई है। आर्थिक स्तर पर स्थिति सुधरने से वे अपना आधारभूत खर्च स्वंय वहन कर ले रही है। अपने साक्षात्कार में इन्होने ये भी पाया कि औसतन लगभग दो तिहाई महिलाओं ने कहा कि मनरेगा से भोजन जैसे आधारभूत समस्या का समाधान हो पाया है। भूखमरी कम हुई है। लगभग 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओ को विस्थापन की समस्या से छुटकारा प्राप्त हुआ है।

मनरेगा लागू होने से महिलाएं तथा पुरूषो को घर के पास रोजगार मिला है। जिससे शहरों पर दबाव कम हुआ है तथा शहरो की ओर पलायन की समस्या रूकी है। इससे ग्रामीण संस्कृति को भी बढ़ावा है। आपसी मेल–जोल बढ़े है तथा सहभागिता ही दिशा में मनरेगा ने सकारात्मक भूमिका निभाई है। तथा गांवो में ही रोजगार मिल जाने से खेती–बाड़ी पशुपालन तथा परिवार सबकी देखभाल आसानी से हो जाती है।

मनरेगा में महिलाओ की बढ़ती भागेदारी का विश्लेषण करे तो पाऐगे कि मनरेगा ने श्रमिको को गरिमापूर्ण कार्य करने का समान स्तर पर अवसर उपलब्ध कराया है। **महिलाओ की भागीदारी को** कुछ प्रमुख बिन्दुओं के तहत देख सकते है।

1. मनरेगा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है। तथा विशेष परिसथितयो में अधिकतम 5 किलोमीटर में ही 5 किलो मीटर के दायरो से बाहर भेजा जाता है।

2. निश्चित कार्य घण्ट/ समय का होना

3. महिलाओं के सर्वेक्षण से पता चला है कि, महिलाएं मनरेगा में कार्य करने मे सहज महसूस करती है। अपना ग्रामीण परिवेश होने कारण शारीरिक तथा मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करती है।

4. मनरेगा ने उन्हे आत्म सम्मान प्रदान किया है।

5. मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी दर प्राइवेट सेक्टर या अन्य रोजगार में मिलने वाले पारिश्रमिक से ज्यादा है। प्रायः राजस्थान के कुछ क्षेत्रो में जहां महिलाओं की मजदूरी बहुत कम है वहां महिलाए तेजी से मनरेगा में कार्य करने की ओर अग्रसर हुई है। एक सर्वेक्षण दौरान रितिका खेरा ने अपने लेख ***''गरीबी दूर करने के रास्ते 2009'*** में यह दर्शाया गया है कि प्राइवेट मजदूरी जहां 47–58 के बीच प्रतिदिन है , वही मनरेगा मे महिलाओं की 85 रूपये प्रतिदिन की मजदूरी है। पुरूषों की भी यही हालत है। इन्होने अपने इस लेख में यह भी बताया है कि महिलाओं की कुल संख्या में 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति, तथा अनुसूचित जनजाति, से है। इनमें असाक्षरता दर 82 प्रतिशत है । वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, के पुरूष 71 प्रतिशत है। तथा इनमें असाक्षरता 52 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश में महिलाओ की भागेदारी किसी भी वित्तीय वर्ष में संतोषजनक नहीं रहा है। रितिका एण्ड खेरा के लेख **' वूमेन पार्टीशिपेशन इन नरेगा 2009'** में उन्होंने सीतापुर जिला की महिलाओं का नरेगा में प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए पाया है कि, महिलाओं को पंजीकृत होने से यह कहकर मना किया जाता है कि वे इसके लिए सक्षम नहीं है और यह कार्यक्रम उनके लिए नहीं है।

इन्होंने अचानक (रेन्डेमली) किए गए अपने सर्वेक्षण में पाया कि महिलाओं के साथ साथ भेदभाव का एक प्रमुख कारण **' समान वेतन '** की धारणा है। जहां पुरुषों को मजबूत शारीरिक संरचना तथा कार्य में सक्षम दिखाया जाता है। वहीं महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर कहकर कठिन कार्यों के लिए अक्षम दिखाया जाता है। पुरुष श्रमिक यह कहकर विरोध जताते हैं कि, हमको कठिन कार्यों में लगाया जाता है तो महिला श्रमिक से अधिक वेतन क्यों नहीं दिया जाता है। इसके वावजूद मनरेगा में सहभागी महिलाओ को मनरेगा ने आर्थिक लाभ पहुचाया है।

शोध प्रश्न–

- क्या मनरेगा **में सहभागी होने से** उत्तरप्रदेश के कौशाम्बी ब्लॉक खण्ड की ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ है?
- मनरेगा लागू होने से पूर्व एवं पश्चात् ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक स्थिति में क्या–क्या परिवर्तन दिखाई दे रहे है?

- क्या मनरेगा सभी इच्छुक ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदानकर पा रहा है? अगर ऐसा है तो किस कारण से गरीब ग्रामीण महिलाएं आज भी पारम्परिक सामाजिक कार्यों में संलग्न है, यद्यपि इन कार्यों में प्रछन्न बेरोजगारी पर्याप्त रूप से विद्यमान है।
- मनरेगा में सहभागिता बढ़ाने के लिए क्या–क्या प्रयास हो सकते हैं?
- क्या महिलाओं के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को और भी बढ़ाया जाना चाहिए।

परिकल्पना–

- अशिक्षा, गरीबी एवं ग्रामीण सामाजिक संरचना, जटिल होने की परिस्थिति में भी, मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है।
- मनरेगा में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधनों की वजह से उनकी सहभागिता बढ़ी है। जिससे उनका सामाजिक राजनीतिक स्तर ऊपर उठा है।
- कौशाम्बी ब्लॉक खण्ड में महिलाएं, पुरूषवादिता, रूढ़वादिता, अशिक्षा आदि समस्याओं से ग्रस्त है। जिसके कारण मनरेगा का पूर्णतः लाभ नहीं उठाया जा सका है।

शोध विधि–

वर्तमान अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति के साथ– साथ अनुभव मूलक पद्धति को भी अपनाया जायेगा। प्रस्तुत अध्ययन में मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता से उनके सामाजिक – आर्थिक स्तर पर पड़ने वाले प्रभाावों का समाजिक–वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया जायेगा। यह अध्ययन चूंकि महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तीकरण से सम्बन्धित है। अतः यह गुणात्मक अनुसंधान एवं परिमाणात्मक अनुसंधान का भी रूप धारण करेगा। अध्ययन से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन हेतु मान्य स्रोत्रों में से प्राथमिक तथा द्वितीयक स्त्रोत से सूचनाओं को प्राप्त किया जायेगा। प्रस्तुत अध्ययन के उददेश्यों एवं परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धतियों द्वारा अनुभवात्मक प्रयोगसिद्ध स्तर पर इस बात की खोज की गयी है कि, मनरेगा ने महिलाओ के सशक्तिकरण में क्या भूमिका निभाई हैं।.

प्राथमिक स्त्रोत–

संबधित प्रश्नों की तालिका बनायी जायेगी तथा उसे कार्यस्थल या निवास स्थल पर प्रश्न पूछकर, प्राप्त जानकारी से भरा जाएगा। तथा प्राप्त नई जानकारियों के अनुसार प्रश्नावली में संशोधन भी किया जा सकता है।

द्वितीयक स्त्रोत–

इसके अन्तर्गत अध्ययन से संबन्धित किताबों, पत्र–पत्रिकाओं, संबन्धित बेवसाइटों से जानकारी प्राप्त की जायेगी।

अध्यायो का संक्षिप्त परिचय–

प्रस्तुत शोध को छः अध्यायो में विभाजित किया गया है, जिसमें तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा आनुभाविक पद्विती का प्रयोग किया गया है।

शोध के प्रथम अध्याय में सशक्तीकरण तथा सहभागिता को परिभाषित कर महिला सशक्तीकरण के विभिन्न आयामो का वर्णन किया गया है। महिलाओ की स्थिति को प्राचीन, मध्य, तथा आधुनिक काल के सन्र्दभ में देखते हुए लिंग तथा जेडर के विभेद को विश्लेषित किया गया है, तथा महिला सशक्तीकरण के विभिन्न आयामो को यथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा कानूनी प्रयासो को, संक्षिप्त तथा सारगर्भित रूप से प्रस्तुत किया गया है।

महिलाओ की सहभागिता तथा सशक्तीकरण में मनरेगा की भूमिका, का विश्लेषण भी संक्षिप्त रूप से इसी अध्याय के अर्न्तगत किया गया है। जिसके अर्न्तगत मनरेगा में सहभागी विभिन्न राज्यो में महिलाओ का प्रतिशत तथा इसमें भागीदार विभिन्न समुदायो का तुलनात्मक अध्ययन ग्राफ के माध्यम से हुआ है तथा महिलाओ के मनरेगा में राष्ट्रीय प्रर्दशन को भी परिलक्षित किया गया है। इस अध्याय में ही शोध पकिल्पना तथा शोध उद्देश्य के बारे में बताया गया है। सम्पूर्ण शोध प्रबन्ध में प्राथमिक तथा द्वितीयक स्त्रोतो से प्राप्त आकड़ो का प्रयोग किया गया है।

द्वितीय अध्याय में महिला सशक्तीकरण की योजनाएं एवं मनरेगा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें महिला सशक्तीकरण के अर्न्तराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय प्रयासो का

विस्तारपुर्वक वर्णन किया गया है। विभिन्न नारीवादी सिद्वान्तो यथा उदारवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी, उग्रनारीवादी, पर्यावरणवादी सिद्वान्तो का विस्तार पुर्वक वर्णन किया गया है। भारत सरकार द्वारा लागू कि गई महिला सशक्तीकरण की प्रमुख योजनाओ का विस्तारपुर्वक वर्णन किया गया है। महिलाओ की आर्थिक क्षेत्र में भागेदारी को बेरोजगारी दर तथा रोजगार दर के आधार पर विश्लेषित कर अकुशल रोजगार प्रदान करवाने में मनरेगा कि भूमिका का वर्णन किया गया है,। मनरेगा के प्रावधानो का विस्तृत वर्णन करते हुए इस अध्याय में महिला केन्द्रीत प्रावधानो को भी विश्लेषित किया गया है।

शोध प्रबंध के तृतीय अध्याय में महिलाओ के सशक्तीकरण में मनरेगा की भूमिका का भारतीय सन्र्दभ में सम्पूर्ण अवलोकन किया गया है। इसके तहत मनरेगा में कार्यरत महिलाओ का विभिन्न राज्यो में निष्पादन को सारणी के माध्यम से दिखाया गया है, तथा उसको विश्लेषित भी किया गया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख रोजगार कार्यक्रमो जैसे– स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा मनरेगा का तुलनात्मक अध्ययन कर यह दिखाने की कोशिश की किया गया है कि मनरेगा कैसे रोजगार सृजन का प्रमुख कार्यक्रम है, कैसे मनरेगा ने अकेले ही लगभग 90 प्रतिशत रोजगार प्रदान करवाया है।

इसी अध्याय में ही मनरेगा के निष्पादन का विभिन्न राज्यो में विश्लेषण कर इस तथ्य का पता लगाने का कोशिश भी किया गया है कि, मनरेगा का निष्पादन कुछ राज्यो में अच्छा तो कुछ में खराब क्यो है? क्या–क्या कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं। इस अध्याय में उच्च निष्पादन वाले राज्यो के प्रशासनिक तथा राजनैतिक तंत्र का अध्ययन मनरेगा के सन्र्दभ में किया गया है। इसी अध्याय में महिलाओ का मनरेगा के प्रति झुकाव का विश्लेषण करते हुए, मनरेगा का महिलाओ के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक तथा गुणात्मक अध्ययन किया गया है तथा मनरेगा की कमियों को भी दर्शाया गया है।

शोध प्रबन्ध के अध्याय चार के अर्न्तगत, उत्तर प्रदेश के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में मनरेगा की भूमिका का अवलोकन किया गया है। इसके अर्न्तगत उत्तर प्रदेश की मुख्य विशेषताओ को बताते हुए, उत्तर प्रदेश में महिलाओ के सशक्तीकरण के लिए हुए प्रयासो का क्रमबद्व तथा वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है।

इस अध्याय में उत्तरप्रदेश की रोजगार दर तथा राष्ट्रीय रोजगार दर का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, साथ ही रोजगार सूचकांको के आधार पर विश्लेषण भी किया गया है। कुछ प्रमुख राज्यो की रोजगारी दर को उत्तर प्रदेश की बेारोजगारी दर से तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, साथ ही रोजगार सृजन कार्यक्रम के रूप में मनरेगा के निष्पादन का उत्तर प्रदेश के सन्र्दभ में सारणी के माध्यम से निरूपण किया गया है। जिसमें महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछ़डा वर्ग तथा सामान्य वर्ग से संबधित आकड़ो का सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस अध्याय में उत्तर प्रदेश में मनरेगा की स्थिति का विस्तृत वर्णन कुछ प्रमुख जिलो को आधार बनाकर किया गया है, तथा यह भी देखने की कोशिश किया गया है कि, जिन जिलो में महिलाए मनरेगा में ज्यादा कार्य कर रही है, वहॉ वे किन–किन सुविधाओ और कारको से प्रभावित होती है और जिन जिलो में महिलाओ की भागेदारी कम है, वहा कौन–कौन से कारक प्रभावी है।

शोध प्रबंध के पाचॅवे अध्याय में हमने कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी विकास खण्ड में मनरेगा में, सहभागी होने के होने के पश्चात् ग्रामीण महिला श्रमिकों की स्थिति (सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि) में आए बदलाव का अध्ययन/विवेचन करने की कोशिश की है। जिसके लिए हमने प्रश्नावली सूची के माध्यम मनरेगा में कार्यरत 120 महिलाओं का साक्षात्कार किया गया है। इन महिलाओ का चयन विभिन्न ग्राम पंचायतों से Randomly Method के आधार पर किया है।

अध्ययन में कुल प्रतिदर्श की संख्या 160 है जिसमें 120 महिला, 30 पुरुष, 8 ग्राम प्रधान 1 रोजगार सेवक तथा 1 सहायक विकास अधिकारी हैं। इसी अध्याय में मनरेगा से संबधित सकारात्मक तथा नकारात्मक सभी पहलुओ की जानकारी को प्राप्त कर सारणी तथा पाई चार्ट के माध्यम से दिखया गया है।

शोध प्रबंध के छठवे अध्याय के अर्न्तगत प्रश्नावली से प्राप्त जानकारी के आधार पर **निष्कर्ष अध्याय तथा सुझााव दिया गया है।**

प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य, कौशाम्बी जिले के (कौशाम्बी विकास खण्ड) में कार्यरत महिला श्रमिको की समाजिक, आर्थिक स्थिति में आये बदलाव का अध्ययन करना है। साथ

ही इस शोध प्रबंध की परिकल्पनाओ का अध्ययन करना है। जो आनुभाविक आधार पर अवलोकन करने पर सही सिद्व पायी गयी है।

परिकल्पना प्रथम– अशिक्षा, गरीबी एवं ग्रामीण सामाजिक संरचना, जटिल होने की परिस्थिति में भी, मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है।

परिकल्पना प्रथम को अपने शोध प्रबन्ध में प्रस्तुत आकड़ो के आधार पर विश्लेषण करें तो पाते है कि भारत में अशिक्षा, गरीबी, तथा जटिल सामाजिक संरचना विद्यमान है। अध्याय द्वितीय के **सारणी नं 2.1** को विश्लेषित करे तो पाते है कि महिला पुरूष साक्षरता का अन्तराल काफी ज्यादा है। महिलाओ की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़ी है, फिर भी महिला पुरूष साक्षरता का **अन्तराल 16.2** है। अगर हम साक्षरता पर समग्र दृष्टि डाले तो पाते है कि महिला तथा पुरूष दोनो की साक्षरता संतोष जनक नही है। गुणात्मक तथा तकनीकि शिक्षा का काफी आभाव है। और यह स्थिति गॉवो में और भी दयनीय है।

'**जागरूकता**' योजनाओ के सफल क्रियान्यवयन के लिए जरूरी है। और इस जागरूकता में शिक्षा की अहम् भूमिका है। शिक्षा द्वारा योजना के प्रावधानों को मूलरूप से पढ़ा और समझा जा सकता है। और उनका लाभ उठाया जा सकता है। मनरेगा की सफलता वहां ज्यादा है जहां मनरेगा प्रावधानों के प्रति जन जागरूकता है। जैसे **केरला, आंध्रप्रदेश।**

सामाजिक संरचना की जटिलता, जो महिलाओ के विकास में बाधक है, का विश्लेषण अध्याय तीन के **उपशीर्षक 3.28** के आधर पर किया जा सकता है। क्योंकि सामाजिक संरचना की जटिलता से कई जगहो पर कार्य में भागीदार होने में समस्याओ का सामना करना पड़ता है, इसके बावजूद मनरेगा का प्रर्दशन संतोष जनक है। महिलाओ के संर्दभ में मनरेगा के प्रर्दशन को सारणी **संख्या 3.7, शीर्षक 3.10 तथा शीर्षक 3.9** के आधार पर किया जा सकता है, कि मनरेगा ने महिलाओ को सशक्त किया है। क्योकि मनरेगा में महिलाओ की भागेदारी से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

परिकल्पना द्वितीय– मनरेगा में महिलाओ के लिए विशेष प्रावधान की वजह से उनकी सहभागिता बढ़ी है। जिससे उनका सामाजिक एवं राजनीतिक, स्तर उपर उठा हैं।

परिकल्पना द्वितीय को अपने शोध प्रबन्ध में प्रस्तुत आकड़ो के आधार पर विश्लेषण किया जाये तो पाते है कि, अध्याय तीन के **शीर्षक 3.21** के आधार पर इसकी पुष्टि होती है। **मनरेगा में महिलाओ और पुरूषो के लिए समान वेतन, महिलाओ के लिए आरक्षित स्थान, कार्यस्थल का घर के समीप होना, तथा बच्चो की देख–रेख के लिए शिशु सदन की व्यवस्था आदि से मनरेगा में सहभागिता बढ़ी है।**

मनरेगा में महिला सहभागिता बढ़ने से उनकी न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, बल्कि इसका साकारात्मक प्रभाव उनकी समाजिक, राजनीतिक स्थिति पर भी पड़ा हैं। जिसकी पुष्टि सारणी **संख्या 5.24, सारणी संख्या 5.25 तथा सारणी संख्या 5.26** से की जा सकती है। चूँकि मनरेगा से प्राप्त होने वाली आय से उनकी आवश्यकताओ की पूर्ति तो होती ही है, साथ ही साथ उनका सामाजिक दायरा भी बढ़ा है, तथा आत्म निर्भरता भी आयी है। मनरेगा में कार्य करने से ये ग्राम सभा की गतिविधियो में भाग ले रही है। ग्राम सभा के कार्यो में अपनी राय दे रही है। ये महिलाएं मनरेगा के आलावा अन्य समस्याओ को भी ग्राम सभा के समक्ष रखने की स्थिति में आ गयी है, साथ ही इन्होने ने यह भी बताया कि कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियो बात–चीत के दौरान भी राजनीति जानकारिया प्राप्त होती है।

परिकल्पना तृतीय– कौशाम्बी बिकास खण्ड में महिलाएं, पुरूषवादिता, रूढ़ीवादिता, अशिक्षा आदि समस्याओं से ग्रस्त है। जिसके कारण मनरेगा का पूर्णतः लाभ नहीं उठाया जा सका है।

परिकल्पना तृतीय को अध्याय पॉच में वर्णित तथ्यो के आधार पर पुष्ट किया जा सकता हैं।

कौशम्बी विकास खण्ड की स्थिति का विश्लेषण करे तो पाते है कि यह पूर्णतः ग्रामीण जनसंख्या वाला क्षेत्र जिसमें पुरूषों की संख्या 89,807 तथा महिलाओ की संख्या 82,126

है। यह विकास खण्ड अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहां जनजातियों की संख्या लगभग नगण्य है।

इस विकास खण्ड में साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या 85097 है। जिसमें साक्षर पुरूषों की कुल संख्या 53855 तथा महिलाओं की संख्या 31242 है। इस विकासखण्ड में लगभग **50 प्रतिशत जनसंख्या श्रमिक** है। तथा इन्हें श्रम का उचित कार्य भी उपलब्ध नही है। चूँकि अशिक्षत तथा गरीब समाज होने की वजह से जागरूकता का अभाव है। इसीलिए ये सरकार के योजनाओं का पूर्णतः लाभ नही उठा पाते है। कौशाम्बी विकास खण्ड में सर्वेक्षण के दौरान हमने पाया कि यहॉ **नागरिक समूह की उपस्थिति नगण्य** थी तथा **स्वयं सहायता समूह की सक्रियता भी बहुत ही कम थी**। फील्ड सर्वेक्षण के दौरान महिला श्रमिकों से लिए गए साक्षात्कार के आधार पर हमनें पाया कि **120 महिला श्रमिकों** में किसी ने भी यह नही कहा कि नागरिक समूह के द्वारा या स्वयं सहायता समूह के द्वारा, सरकार की योजनाओं या अन्य समस्याओं का निराकरण होता है। जिसे **सारणी संख्या 5.13 में** देखा जा सकता है।

यहॉ का समाज पिछड़ा होने के कारण रूढिवादिता तथा पुरूषवादिता जैसी सोच भी विद्यमान है। जिसकी पुष्टि **सारणी संख्या 5.23 तथा सारणी 5.22** के आधार पर किया जा सकता है। कौशाम्बी विकास खण्ड में मनरेगा के निष्पादन को देखे तो पाते है कि यहॉ विगत कुछ वर्षों से महिलाएं मनरेगा में लगभग 40 प्रतिशत के आस–पास है। यद्यपि कि यहा निष्पादन महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान से ज्यादा है। परन्तु राष्ट्रीय औसत काफी है।

विगत कुछ वर्षों का मनरेगा में महिलाओं का **राष्ट्रीय औसत लगभग 52 प्रतिशत से** ऊपर ही रहा है।

इस प्रकार देखे तो मनरेगा जैसी योजना, जो कौशाम्बी विकास खण्ड में काफी सफल होनी चाहिए थी, **क्योंकि यहॉ कि लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या ही श्रमिक** है। फिल्ड सर्वेक्षण दौरान हमने पाया कि कृषि तथा मजबूरी कार्य वालों की संख्या 80 प्रतिशत थी। **सारणी सं0 5.6** कृषि भूमि भी इनके पास बहुत ही कम थे, इसके बावजूद मनरेगा का निष्पादन संतोष जनक नही है।

अगर हम इस विकास खण्ड में मनरेगा में सिर्फ महिलाओं को देखे तो इनकी स्थिति और भी खराब है। क्योंकि पुरूष रोजगार के लिए पलायन भी कर जाते है, परन्तु महिलाएँ, को पलायन करने में दिक्कत आती है।

ऐसी स्थिति मनरेगा में महिलाओं के निष्पादन का संतोषजनक न होने का प्रमुख कारण **पुरूषवादी, रूढ़िवादी** सोच भी है। हमने फील्ड सर्वेक्षण के दौरान पाया कि महिलाओं को मनरेगा में कार्य करने पर घरवालों को आपत्ति थी। यद्यपि कि आर्थिक समस्या ऐसे परिवारों में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इस प्रकार देखे तो कौशाम्बी में मनरेगा में भागीदार महिलाओ की आाथिक स्थिति तो सुधरी है, पर यह सुधार काफी कम है।

कौशाम्बी विकास खण्ड में महिलाओं की समस्याओं को प्रमुखतः निम्न बिन्दुओं के अर्न्तगत भी देखा जा सकता है–

1. कार्य स्थल पर अपने सगे–सम्बन्धियों से झिझक।
2. कार्य स्थल पर सुविधाओं का अभाव, जैसे–पानी, बच्चों की देखभाल की व्यवस्था आदि।
3. मनरेगा की मजदूरी का समय पर मिलना।
4. 100 दिन के कार्य की अनुपलब्धता आदि समस्याएं कौशाम्बी विकास खण्ड में मौजूद है जिसे हम सारणी संख्या 5.15 में देख सकते है।

इसके बावजूद जो महिलाएं मनरेगा में कार्यरत है। उनका सामाजिक, आर्थिक स्तर ऊपर उठा है। उनमें ग्राम सभा के प्रति सक्रियता आयी है। जिसे हम ***सारणी संख्या 5.19, सारणी संख्या 5.20, सारणी संख्या 5.24, सारणी संख्या 5.25, तथा सारणी संख्या 5.26*** में देख सकते है।

अतः निष्कर्ष के रूप में कौशाम्बी विकास खण्ड में महिलाओं की भागेदारी को बढ़ाने तथा समस्याओं के समाधान को निम्न बिन्दुओं के अर्न्तगत देख सकते है। जो निम्न है–

- **नागरिक समूह तथा स्वयं सहायता समूह** जैसे संगठनों को बढ़ावा देना।
- शिक्षा का स्तर सुधारना।

- **कुटाम्बाश्री** जैसे संगठन का गठन हो, जो महिलाओं की क्षमता तथा चेतना को विकसित करता है।
- मनरेगा में काय स्थल पर सुविधाओं को प्राप्त करवाना।
- पारिश्रमिक को समय पर प्रदान करवाना।
- प्रशासनिक तंत्र की सक्रियता को बढाया जाय ।

अन्य सुझाव–

महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तिकरण में मनरेगा की भूमिका को सार्थक बनाने हेतु सुझाव :–

- महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी दर अधिनियम के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी महिला के बैंक खाता में किया जाना चाहिए।
- महिला सहभागिता हेतु मनरेगा कार्यों एवं सामाजिक लेखा परीक्षा का पर्यवेक्षक महिला को भी नियुक्त किया जाए।
- मनरेगा के तहत कार्यस्थलों के चुनाव में महिलाओं को वरीयता दी जानी चाहिए।
- ग्राम सभा की बैठक में मनरेगा पर चर्चा के दौरान महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत किया जाए।
- सिविल समाज को मनरेगा के तहत संचालित कार्यों एवं विभिन्न प्रावधानों को बैनर तले महिलाओं के समक्ष प्रचार प्रसार किया जाए।
- दूरदर्शन, रेडियो एवं कार्य स्थल पर नुक्कड़ नाटक के द्वारा मनरेगा में महिलाओं संबंधित प्रावधान को प्रचारित–प्रसारित किया जाए।
- प्रत्येक महिला के मनरेगा संबंधी जाब कार्ड को आधार से जोड़ने का प्रयास किया जाए, ताकि वास्तविक एवं जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।
- मनरेगा के तहत महिलाओं की कार्य प्रकृति के अनुसार कार्यों का आवंटन किया जाए।
- मनरेगा के तहत संचालित कार्यस्थल पर मॉस्टर रोल की अनिवार्य उपस्थिति हो, ताकि निरीक्षण के दौरान महिलाओं के नाम, कार्य एवं उनके उपस्थिति को देखा जाए। इससे फर्जी नाम से मजदूरी के भुगतान को रोका जा सके।